फर्द अहकाम

कैलाश बनाम मालीराम

नाम न्यायालय A.C.M. Chomu

केस संख्या – T.I. 78/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	25/9/24	व.कु.उप.। पत्रावली वास्ते बहस हेतु आगामी दिनांक 27/9/24 को पेश हो।	
	27/9/24	वकिलों द्वारा आज कण्डोलेंस / कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 10/10/24 को पेश हो।	
	10/10/24	व.कु.उप.। पत्रावली वास्ते बहस T.I. हेतु आगामी दिनांक 07/11/24 को पेश हो।	
	07/11/24	व.कु.उप.। पत्रावली वास्ते बहस T.I. हेतु आगामी दिनांक 07/12/24 को पेश हो।	
	7/12/24	वकिलों द्वारा आज कण्डोलेंस / कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 7/1/25 को पेश हो।	
	7/1/25	वकिलों द्वारा आज कण्डोलेंस / कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 7/2/25 को पेश हो।	
	07/2/25	व.कु.उप.। बहस T.I. सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। पक्षकारों की बहस से अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की हुई है उक्त आदेश के ता. फैसला मूल वाद अन्तर्गत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है क्योंकि पक्षकारान के मध्य वाद बहुलता न बढ़े। उक्त अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश के ता. फैसला मूल वाद अन्तर्गत किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर उपनम्बर 6 कम 6 तथा मूल वाद के संलग्न हो।	

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)